

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 448

दिनांक 15/02/2024

प्रार्थी :-

1.खुमाणदान पुत्र मासींगदान
जाति चारण
निवासी गुमाने का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.प्रभूदान पुत्र मासींगदान, जाति चारण 2. मानी पत्नि भेरा,
जाति जाट, 3.बीझाराम पुत्र भीखाराम, जाति मेघवाल,
निवासी गुमाने का तला 4.कमलादेवी पत्नि अमोलखराम,
जाति मेघवाल, निवासी मिठड़ाऊ 5.अनवर पुत्र धुड़ा
6.अकबर 7.ओसमान 8.हाकम 9.मुकिम पि.सलादीन 10.जमाल
पुत्र उरस 11.अनाई पत्नि उरस 12.जानू 13.जलाल,14.अमीन
15.हमजा पि.उरस, जाति मुसमलान, निवासी कोनरा,
तहसील चौहटन, 16.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 79/2022

दिनांक : 13.02.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला के मौजा गुमाने का तला के खेत खसरा सं. 348/105 रकबा 08.9031 हैक्टैयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 449 to 452

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी खुमाणदान
3. विप्रार्थीगण प्रभूदान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

दिनांक 15/02/2024



(सूरजभान विशनोई)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन